इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 44] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 नवम्बर 2019—कार्तिक 10, शक 1941

भाग ४

विषय-सूची

(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम.
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अन्तिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

राजस्व वभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ–1–3–2010–सात/4–ए :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 457–741–84–सात–शाखा–4, दिनांक 5 अप्रैल 1985 को अतिष्ठित करते हुए, मध्यप्रदेश के

राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व सेवा भर्ती नियम, 2017 बनाते हैं, अर्थात :–

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :–**
   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2017 है।
   (2) ये "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके अंग्रेजी पाठ के प्रकाशन की तारीख अर्थात 21/06/2017 से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं :–** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :–
   (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, प्रमुख राजस्व आयुक्त, मध्यप्रदेश या इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी;
   (ख) "समिति" से अभिप्रेत है, चयन/विभागीय पदोन्नति समिति;
   (ग) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम–10 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा;
   (घ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
   (ड.) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल;
   (च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ–8–5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियॉं;
   (ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
   (झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन, मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है;
   (ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजस्व सेवा;
   (ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना :–** मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) :– नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन :–** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने पर, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से धारण कर रहें हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किये गये हों, और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि :–**

(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट किये गए अनुसार होगी :

परन्तु सरकार, समय समय पर, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

(2) सेवा के सदस्यों को वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24.01.2008 एवं दिनांक 30.09.2014 के अनुक्रम में समय–समय पर जारी अनुदेशों के अन्तर्गत समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

6. **भर्ती का तरीका :–**

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(ख) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल रूप में या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हों जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप–नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन भर्ती किये गए व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–दो में दर्शाए गए प्रतिशत से या अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार की पूर्व सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किये गये तरीकों से भिन्न, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

7. **सेवा में नियुक्ति** :– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम–6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों मे से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें** :– चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :–

(1) मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।

(2) **आयु** :–

(क) अभ्यर्थी ने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख की आगामी पहली जनवरी को, अनुसूची तीन के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट आयु पूरी नहीं की हो। अधिकतम आयु–सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी–3–8/2016/3 दिनांक 12 मई, 2012 के अनुसार की जायेगी।

किसी भी प्रवर्ग के लिए समस्त शिथिलीकरण सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु–सीमा, किसी भी दशा में, 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं, या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विर्निदिष्ट की गयी सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक है, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो, तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों, तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि में एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से पांच वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :– शब्द "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य अथवा किन्ही भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम 6 मास की कालावधि तक निरंतर रहा था, और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक पांच वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(चार) ऐसे अभ्यर्थी को जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण :– पद "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम से कम छह माह की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था, तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा, आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किए जाने के कारण छंटनी की गयी थी अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो।

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;

(4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिनमें अल्प अवधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं, जो उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों।

(5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि अब वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं।

(8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के परिणाम स्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो।

(घ) मध्यप्रेदश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयुसीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी किन्तु समस्त प्रकार के छूटों को सम्मिलित करते हुये किसी भी स्थिति में उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ड.) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पत्ति के पुरूस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 45 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) "विक्रम पुरस्कार" धारक अभ्यथियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पॉच वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) नगर सेना (होमगार्ड) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के अध्यधीन रहते हुये उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

(ञ) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

टिप्पणी :–1 ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें नियम 8 के उप–नियम (2) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लेखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिए पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् चयन के पहले अथवा उसके बाद में सेवा से त्याग पत्र देते हैं, तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी–2 विभागीय अभ्यर्थियों को अनुसूची–2 में यथा विर्निदिष्ट परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) **शैक्षणिक अर्हताऐं** :– अभ्यर्थी के पास अनुसूची–3 में दर्शायी गई सेवा के लिए विहित शैक्षणिक अर्हतायें होना आवश्यक है :–

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी आपवादिक मामलों में, किसी अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षायें ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये पात्र बनायें।

(4) **फीस** :– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गयी फीस का भुगतान करना होगा।

9. <u>निरर्हता</u> :–

(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जा सकेगा।

(2) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा में या पद के लिए पात्र नही होगा।

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

(4) कोई अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्ध–दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

10. <u>प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती</u> :–

(1) सीधी भर्ती, प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा की जायेगी जैसा नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर विनिश्चित करे।

(2) मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) इस प्रकार रक्षित रिक्तियों के भरने की प्रक्रिया में उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम, नियम 11 में निर्दिष्ट सूची में आए हो, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें समिति द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अध्ययीन रहते हुए महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण रखा जाएगा।

(6) सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(7) यदि अनूसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों, के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो शेष रिक्तियां सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिये पद या पदों को आरक्षित किया गया है से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति से अनारक्षित नहीं किया जायेगा।

11. <u>नियुक्ति प्राधीकारी द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची</u> :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्ह हो जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें, तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुये, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में तैयार करेगा और नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्व साधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम उनके नाम सूची में आए हों।

(3) चयन सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान नहीं हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची, उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

12. <u>पदोन्नति द्वारा नियुक्ति</u> :–

(1) पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लेखित सदस्य होंगे :

परन्तु पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोडकर नाम निर्देशित किए गए अन्य सदस्यों में से यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जायेगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में, यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों के पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (3) में, यथा विनिर्दिष्ट अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति के माध्यम से नियुक्ति नियमों तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

(3) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण), अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 ऑफ 1994) के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 के खण्ड (1) के उपबंधों का पूर्ण ज्ञान है।

(4) आरक्षित पदों की पदोन्नति के लिए प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय– समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

(5) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से की जाएगी जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, किन्तु साधारणतया एक वर्ष से अनधिक नहीं होगी।

13. <u>पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें</u> :–

(1) समिति, उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जाना है, या जिन्हें सरकार द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर सेवा स्थानापन्न या मूल रूप में उतने वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली थी जो अनुसूची–चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है और उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान देकर पदोन्नति के लिये केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने इस उप–नियम के अधीन आदेशित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है।

(2) पदोन्नति के लिए विचारण क्षेत्र हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए नियम तथा अनुदेश लागू होंगे।

(3) केवल लेखा परीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए वे सहायक ग्रेड–2 पात्र होंगे जिन्होंने राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विहित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, परन्तु ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो वरिष्ठतम व्यक्तियों को, जो पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त हों इस शर्त के साथ पदोन्नत किया जाएगा कि वे 2 वर्षो की कालावधि में उक्त लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास कर लें, उसमें असफल होने पर उन्हें सहायक ग्रेड–2 के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जावेगा।

(4) सहायक ग्रेड–3 के पद पर पदोन्नति के लिए चतुर्थ श्रेणी सरकारी सेवक केवल तभी पात्र होगा, जबकि उसने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुराने पाठक्रम के अनुसार उच्चतर माध्यमिक 11 वीं परीक्षा या नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार 10+2 के अधीन हायर सेकण्डरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।

14. <u>उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना</u> :–

(1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम–13 में विहित शर्तो को पूरा करते हों, और जो समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों, और यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के

लिए पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्‌भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी जिसमें सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों के नाम सम्मिलित होंगे।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियम तथा अनुदेशों के अनुसार होगी।

(3) ऐसी चयनसूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट सेवा या पदों में ज्येष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) यदि चयन, पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना प्रस्तावित हो तो समिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी।

(5) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण किया जाएगा.

15. **चयन सूची** :–

(1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझें, सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना समिति को देगा तथा समिति की टिप्पणियों पर,, विचार करने के पश्चात् सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, यदि कोई हो, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची, अनुसूची–चार के कालम (2) में उल्लिखित किए गए पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में वर्णित किए गए पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची, जब तक कि नियम–14 के उप–नियम (5) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, साधारणतः एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रवर्त रहेगी, किन्तु उसकी विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जावेगी :

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के निर्वहन में कोई गंभीर चूक होने की दशा में, नियुक्ति प्राधिकारी की प्रेरणा पर, चयन सूची का विशेष पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और समिति, यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगी।

16. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति** :–

(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होगी।

(2) चयन सूची में उपस्थित ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति उसी क्रम से की जावेगी, जिसमें ऐसे अभ्यर्थी का नाम चयन सूची में आया हो।

17. **परिवीक्षा** :–

(1) सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझें तो परिवीक्षा की कालावधि को एक वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा।

18. **निर्वचन** :–

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत हो तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

19. **शिथिलीकरण** :–

इन नियमों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे न्यायसंगत तथा साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हैं :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नही निपटाया जाएगा, जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो;

20. **निरसन** :–

ऐसे समस्त नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए कोई आदेश या की गयी कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जाएगी।

अनुसूची–एक
(नियम 5 देखिए)

	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम		पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
	(1)		(2)	(3)	(4)
(क)	सेटअप, प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय		* सेटअप, अनुमोदन के अनुसार		
(ख)	सेटअप, (स्थापना) संभागीय (आयुक्त) कार्यालय	...	...		
	1. अधीक्षक	...	10 *	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	9300–34800+3600 ग्रेड वेतन
	2. सहायक अधीक्षक राजस्व	...	39 *	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	9300–34800+3200 ग्रेड वेतन
	3. सहायक अधीक्षक विकास	...	1 *	—"—	9300–34800+3200 ग्रेड वेतन
	4. आडीटर	...	10 *	—"—	9300–34800+3200 ग्रेड वेतन
	5. शीघ्रलेखक ग्रेड–एक	..	09 *	—"—	9300–34800+4200 ग्रेड वेतन
	6. शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	...	14 *	—"—	9300–34800+3600 ग्रेड वेतन
	7. शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	...	10 *	—"—	5200–20200+2800 ग्रेड वेतन
	8. सहायक ग्रेड–दो	...	102 *	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड वेतन
	9. लेखापाल (चम्बल संभाग)	....	01 *	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड वेतन
	10. सहायक ग्रेड–तीन	...	108 *	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड वेतन
(ग)	(उपखण्ड/तहसील कार्यालय को सम्मिलित करते हुए) जिला (कलक्टर) कार्यालय स्थापना:—	...	...		
	1. अधीक्षक	...	51 *	द्वितीय श्रेणी (राजपत्रित)	9300–34800+3600 ग्रेड वेतन
	2. आडीटर	...	51 *	तृतीय श्रेणी (लिपिकवर्गीय)	9300–34800+3200 ग्रेड वेतन
	3. सहायक अधीक्षक (राजस्व)	...	102 *	—"—	9300–34800+3200 ग्रेड वेतन
	4. शीघ्रलेखक ग्रेड–दो	...	14 *	—"—	9300–34800+3600 ग्रेड वेतन
	5. शीघ्रलेखक ग्रेड–तीन	...	78 *	—"—	5200–20200+2800 ग्रेड वेतन
	6. अतिरिक्त प्रवाचक	...	338	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड वेतन
	7. सहायक ग्रेड–दो	...	1678 *	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड वेतन
	8. सहायक ग्रेड–तीन	...	3849 *	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड वेतन
	9. स्टेनो टायपिस्ट	...	182 *	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड वेतन
	10. कम्प्यूटर आपरेटर	...	02	—"—	5200–20200+2100 ग्रेड वेतन

* प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के सेटअप (स्थापना) अनुमोदन के पश्चात् उपरोक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पदों के नाम	कर्त्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्त्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश राजस्व विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1.अधीक्षक (संभागीय आयुक्त, आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय)	61 *	–	सहायक अधीक्षक तथा लेखा परीक्षक (आडीटर) संवर्ग से भरे जाऐंगे।	
	2.सहायक अधीक्षक (संभागीय आयुक्त, तथा कलेक्टर कार्यालय)	142 *	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	3.लेखा परीक्षक, राजस्व लेखा परीक्षक, विकास (आडिटर) (संभागीय आयुक्त कार्यालय/ कलेक्टर कार्यालय)	61 *	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार	
	4.शीघ्रलेखक वर्ग–1	09 *	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	5.शीघ्रलेखक वर्ग–2	28 *	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	6.शीघ्रलेखक वर्ग–3	88 *	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	7.स्टेनो टाइपिस्ट	182 *	100 प्रतिशत	–	
	8.अतिरिक्त प्रवाचक	338	100 प्रतिशत	–	
	9.सहायक ग्रेड–2	1,780 *	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	10.लेखापाल	01*	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	11.सहायक ग्रेड–3	3957 *	75 प्रतिशत	**25 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	12.कम्प्यूटर आपरेटर	02*	100 प्रतिशत	–	

अनुसूची तीन
(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व विभाग	1.शीघ्र लेखक ग्रेड–3	18 वर्ष	40 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। (घ) मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद से 100 श0प्र0मि0 की गति से शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
	2.सहायक ग्रेड–3	18	40	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था स 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।
	3.स्टेनो टायपिस्ट	18	40	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। (घ) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्रीर्ण होना चाहिए।
	4.अतिरिक्त प्रवाचक	18	40	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था स 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।
	5.कम्प्यूटर आपरेटर	18	40	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्ड्री 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण, डी.ओ.ई.ए.सी.सी./आई.ईटी ई से ए लेवल डिप्लोमा या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संबद्ध संस्था से कम्प्यूटर सांईस विषय के साथ पी.जी.डी.सी.ए/बी.सी.ए. या राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय या बी.सी.ए. द्वारा रजिस्ट्रीकृत या संबद्ध किसी पॉलीटेकनिक संस्था महाविद्यालय से कम्पयूटर/सूचना प्रोद्योगिकी/इलेक्ट्रानिक या उच्च शिक्षा विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सी.पी.सी.टी. स्कोर काड होना चाहिए।

अनुसूची चार
(नियम 12 तथा 13 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदोन्नति के लिए अनुभव	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति वेलनमान दिया जा सकेगा।	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1–संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के सहायक अधीक्षक तथा लेखा परीक्षक	3 वर्ष	अधीक्षक	प्रमुख राजस्व आयुक्त	1–संयुक्त राजस्व आयुक्त – अध्यक्ष (स्थापना) 2–प्रमुख राजस्व आयुक्त – सदस्य नाम निर्दिष्ट उप राजस्व आयुक्त 3–उप राजस्व आयुक्त (स्थापना)– सदस्य सचिव 4–अजा/अजजा का एक प्रतिनिधि – सदस्य 5–कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
	2–संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के सहायक ग्रेड– 2/लेखापाल	5 वर्ष	सहायक अधीक्षक/ लेखा परीक्षक **	प्रमुख राजस्व आयुक्त	––तदैव ––
	3–आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय के शीघ्र लेखक ग्रेड–2	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	प्रमुख राजस्व आयुक्त	––तदैव ––
	4–आयुक्त/कलेक्टर कार्यालय के शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5 वर्ष	शीघ्र लेखक ग्रेड–2	प्रमुख राजस्व आयुक्त	––तदैव ––
	5– संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–2	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष 2–उपायुक्त स्थापना–सदस्य 3–अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 4–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	6–कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी तहसील कार्यालय के सहायक गेड–3		सहायक ग्रेड–2	जिला कलेक्टर	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष 2–उपायुक्त स्थापना–सदस्य 3–अनु.अधि. मुख्यालय–सदस्य 4– अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 5–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	7–कलेक्टर/अविअ कार्यालय के स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	प्रमुख राजस्व आयुक्त	1–संयुक्त राजस्व आयुक्त – अध्यक्ष (स्थापना) 2–प्रमुख राजस्व आयुक्त – सदस्य नाम निर्दिष्ट उप राजस्व आयुक्त 3–उप राजस्व आयुक्त (स्थापना)– सदस्य सचिव 4 –अजा/अजजा का एक प्रतिनिधि – सदस्य 5–कार्यालय अधीक्षक – सदस्य
	8–संभागीय आयुक्त कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (05 वर्ष की सेवा पूर्ण, हायर सैकेन्ड्री टायपिंग, कम्प्यूटर डिप्लोमाधारी)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–3 ***	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त– अध्यक्ष 2–उपायुक्त स्थापना –सदस्य सचिव 3–अधीक्षक आयुक्त कार्यालय–सदस्य 4–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	9–कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी तहसील कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (5 वर्ष की सेवा पूर्ण, हायर सैकेन्ड्री टायपिंग, कम्प्यूटर डिप्लोमाधारी)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–3 ***	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष 2–उपायुक्त स्थापना–सदस्य 3–अनु.अधि. मुख्यालय–सदस्य 4– अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 5–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य

- केवल लेखा परीक्षकों के पदों पर पदोन्नति के लिए केवल वे सहायक ग्रेड–2 पात्र होंगे जिन्होंने ने इस प्रयोजन के लिए आदेशित लेखा प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, परन्तु ऐसे व्यक्ति उपलब्ध न हो, तो वरिष्ठतम व्यक्तियों को, जो पदोन्नति के लिए अन्यथा उपयुक्त हों इस शर्त के साथ पदोन्नत किया जावेगा कि वे 2 वर्षों की कालावधि के भीतर उक्त लेखा प्रशिक्षण परीक्षा पास कर लेनी चाहिए, उसमें असफल होने पर उन्हें सहायक ग्रेड–2 के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

क्रमांक एफ–1–3–2010–सात/4–ए :: भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद् द्वारा, मध्यप्रदेश राजस्व (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2017 में निम्नानुसार संशोधन करते हैं :–

संशोधन

(I) इन नियमों में :–

(i) नियम 2 (क) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

2 (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, वह प्राधिकारी जिसे अनुसूची 1 के कॉलम क्रमांक 5 के अनुसार सेवा अथवा सेवा की श्रेणी अथवा पदों पर नियुक्ति की शक्ति प्रत्यायोजित की गई है अथवा राज्य शासन द्वारा प्रत्यायोजित की जाये ।

(ii) नियम 5 (2) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

5 (2) सेवा के सदस्यों को वित्त विभाग के द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो के तहत् समयमान वेतनमान की पात्रता होगी।

(iii) नियम 6 (2) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

6 (2) उप नियम (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची–दो में दर्शाये गये प्रतिशत से या अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(iv) नियम 6 (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

6 (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी ऐसी विशिष्ट रिक्त या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमुख राजस्व आयुक्त के परामर्श से तथा जहां नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी प्रमुख राजस्व आयुक्त है, राज्य सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(v) नियम 9 (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

9 (3) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हो, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई अभ्यर्थी जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

(vi) नियम 10 (2) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

10(2) मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के अनुसार और सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(vii) नियम 10 (8) निम्नानुसार स्थापित किया जाये :–

10 (8) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(viii) नियम 12 (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

12 (1) पदोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों का पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में यथा उल्लेखित सदस्य होंगे ।

(ix) नियम 12 (3) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

12 (3) प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम तथा नियमों के उपबंधों के प्रकाश में जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया है और आदेश उक्त अधिनियम के प्रावधानों तथा राज्य शासन द्वारा निर्मित नियमों के अनुसार जारी निर्देशों के पालन में है और उसे उक्त अधिनियम की धारा–6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण ज्ञान है।

(x) नियम 15 (1) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

15 (1) नियुक्ति प्राधिकारी, समिति द्वारा तैयार की गयी सूची एवं अन्य दस्तावेजों पर विचार करेगा और जब तक वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे, सूची को अनुमोदित करेगा।

(xi) नियम 15 (2) निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

15 (2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो प्रस्तावित परिवर्तनों की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समिति को दी जायेगी तथा समिति की टिप्पणियों , यदि कोई हों, पर विचारोपरांत वह सूची को ऐसे उपांतरणों के साथ, अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा, जो उसकी राय में न्यायसंगत हों।

(xii) नियम 20 निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये :–

20 <u>निरसन</u> :–

ऐसे समस्त नियम, जो इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हों, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् द्वारा निरस्त किए जाते हैं;

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए कोई आदेश या की गयी कार्यवाही, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जाएगी।

(II) अनुसूची एक निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाये :–

अनुसूची एक
(नियम 5 देखिए)

सेवा में सम्मिलित पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रूपये	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय सेटअप * सेटअप स्वीकृति अनुसार				
(ख) सम्भागीय कार्यालय स्थापना (संभागीय आयुक्त कार्यालय)				
1. अधीक्षक	10	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300–34000+3600 ग्रेड पे	प्रमुख राजस्व आयुक्त
2. सहा.अधीक्षक राजस्व	39	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300–34000+3200 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
3. सहा.अधीक्षक विकास	1	—"—	9300–34000+3200 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
4. आडीटर	61	—"—	9300–34000+3200 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
5. शीघ्रलेखक ग्रेड–1	09	—"—	9300–34000+4200 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
6. शीघ्रलेखक ग्रेड–2	14	—"—	9300–34000+3600 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
7. शीघ्रलेखक ग्रेड–3	10	—"—	5200–20200+2800 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
8. सहायक ग्रेड–2	102	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
9. लेखापाल (चम्बल संभाग)	01	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
10. सहायक ग्रेड–3	108	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड पे	सम्भागीय आयुक्त
(ग) जिला, अनुविभाग और तहसील कार्यालय स्थापना (जिला कलेक्टर कार्यालय, अ.वि.अ(राजस्व) कार्यालय और तहसील कार्यालय)				
अधीक्षक	51	तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	9300–34000+3600 ग्रेड पे.	प्रमुख राजस्व आयुक्त
सहा.अधीक्षक (राजस्व)	102	—"—	9300–34000+3200 ग्रेड पे.	सम्भागीय आयुक्त
शीघ्रलेखक ग्रेड–2	14	—"—	9300–34000+3600 ग्रेड पे.	सम्भागीय आयुक्त
शीघ्रलेखक ग्रेड–3	78	—"—	5200–20200+2800 ग्रेड पे.	सम्भागीय आयुक्त
अतिरेक्त प्रवाचक	338	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड पे.	जिला कलेक्टर
सहायक ग्रेड–2	1678	—"—	5200–20200+2400 ग्रेड पे.	जिला कलेक्टर
सहायक ग्रेड–3	3849	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड पे.	जिला कलेक्टर
टेनो टायपिस्ट	182	—"—	5200–20200+1900 ग्रेड पे.	जिला कलेक्टर
कम्प्यूटर आपरेटर	02	—"—	5200–20200+2100 ग्रेड पे.	जिला कलेक्टर

* प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के सेटअप स्वीकृत होने पर उक्त पदों की संख्या परिवर्तनीय होगी।

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	पदों के नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भरती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मध्यप्रदेश राजस्व विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)	1.अधीक्षक (प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय)	61	–	100 प्रतिशत जिसमें से 75 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत क्रमशः सहायक अधीक्षक तथा लेखा परीक्षक (आडीटर) संवर्ग से भरे जाऐंगे। इस प्रकार पदोन्नति का अनुपात 3:1 रहेगा। (अनुसूची–चार अनुसार)	
	2.सहायक अधीक्षक (प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय)	142	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	3.लेखा परीक्षक– राजस्व लेखा परीक्षक, विकास लेखा परीक्षक (प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, संभागीय आयुक्त कार्यालय तथा कलेक्टर कार्यालय)	61	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार	
	4. शीघ्रलेखक वर्ग–1	09	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	5. शीघ्रलेखक वर्ग–2	28	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	6. शीघ्रलेखक वर्ग–3	88	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	7. स्टेनो टाइपिस्ट	182	100 प्रतिशत	–	
	8. अतिरिक्त प्रवाचक	338	100 प्रतिशत	–	
	9. सहायक ग्रेड–2	1780	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	10. लेखापाल	01	–	100 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	11. सहायक ग्रेड–3	3957	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत अनुसूची –चार अनुसार।	
	12. कम्प्यूटर आपरेटर	02	100 प्रतिशत	–	

(I) अनुसूची तीन निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाये :–

अनुसूची तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम	पद नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयुसीमा	शैक्षणिक अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मध्यप्रदेश राजस्व विभाग (तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय)	1. लेखापाल (राजस्व विभाग)	35 वर्ष	नियम अनुसार	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) लेखा परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य। (ग) लेखा संबंधी कार्य का अनुभव।
	2. शीघ्र लेखक ग्रेड–3	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। (घ) मान्यता प्राप्त संस्था/परिषद से 100 श0प्र0मि0 की गति से शीघ्रलेखन उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र।
	3.सहायक ग्रेड–3	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।
	4.स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र। (घ) मान्यता प्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण होना चाहिए।
	5.अतिरिक्त प्रवाचक	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सैकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (ख) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त वि0वि0/संस्था से एक वर्षीय कम्प्यूटर डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित CPCT स्कोर कार्ड। (ग) राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से 30 श0प्र0मि0 की गति से कम्प्यूटर टायपिंग दक्षता प्रमाण पत्र।
	6.कम्प्यूटर आपरेटर	18 वर्ष	25 वर्ष	(क) 10+2 शिक्षा प्रणाली के अधीन हायर सेकेण्ड्री परीक्षा उत्तीर्ण, डी.ओ.ई.ए.सी.सी./आई.ई.टी ई से ए लेवल डिप्लोमा या यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित/पंजीकृत/ मान्यता प्राप्त संबद्ध संस्था से कम्प्यूटर सांईस विषय के साथ पी.जी. डी.सी.ए/बी.सी.ए. या राजीव गांधी प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय या यू.जी.सी. द्वारा रजिस्ट्रीकृत या संबद्ध किसी पॉलीटेकनिक संस्था महाविद्यालय से कम्पयूटर/सूचना प्रोद्योगिकी/ इलेक्ट्रानिक या उच्च शिक्षा विषय में तीन वर्षीय डिप्लोमा, इसके अतिरिक्त विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सी.पी.सी.टी. स्कोर कार्ड होना चाहिए।

नोट:– म.प्र. सामान्य प्रशासन विभाग के नियम क्रमांक सी–3–8/2016/3–1 दिनांक 12 मई 2017 अधिकत्म आयु सीमा में छूट रहेगी।

(II) अनुसूची चार निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाये :–

अनुसूची चार
(नियम 12 तथा 13 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	पदोन्नति के लिए अनुभव	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है।	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजस्व विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय सेवा)	1–संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के सहायक अधीक्षक तथा लेखा परीक्षक	3 वर्ष	अधीक्षक	प्रमुख राजस्व आयुक्त	1–संयुक्त राजस्व आयुक्त – अध्यक्ष (प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा नामांकित) 2–उप राजस्व आयुक्त (प्रमुख राजस्व आयुक्त द्वारा नामांकित) –सदस्य, सचिव। 3– अजा/अजजा का एक प्रतिनिधि सदस्य 4– कार्यालय अधीक्षक (प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय) –सदस्य
	2–संभागीय आयुक्त तथा कलेक्टर कार्यालय के सहायक ग्रेड– 2/लेखापाल	5 वर्ष	सहायक अधीक्षक/लेखा परीक्षक	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 2–उपायुक्त राजस्व –सदस्य (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 3–अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 4–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	3–संभागीय अयुक्त कार्यालय तथा जिला कलेक्टर कार्यालय के शीघ्रलेखक ग्रेड–2	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–1	संभागीय आयुक्त	—तदैव—
	4– संभागीय अयुक्त कार्यालय तथा जिला कलेक्टर कार्यालय के शीघ्रलेखक ग्रेड–3	5 वर्ष	शीघ्र लेखक ग्रेड–2	संभागीय आयुक्त	—तदैव—
	5– संभागीय आयुक्त कार्यालय के सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–2	संभागीय आयुक्त	—तदैव—
	6–कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) तहसील कार्यालय के सहायक ग्रेड–3	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–2	जिला कलेक्टर	1–अपर कलेक्टर–अध्यक्ष (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित) 2–डिप्टी कलेक्टर –सदस्य (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित) 3–मुख्यालय अविअ–सदस्य 4–अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय– सदस्य सचिव 5– अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	7– स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 2–उपायुक्त राजस्व –सदस्य (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 3–अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 4–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	8–संभागीय आयुक्त कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियम 13 (4)* अनुसार शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य।	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–3	संभागीय आयुक्त	1–अपर आयुक्त–अध्यक्ष (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 2–उपायुक्त राजस्व –सदस्य (संभागीय आयुक्त द्वारा नामांकित) 3–अधीक्षक आयुक्त कार्यालय– सदस्य सचिव 4–अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य
	9–कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी/तहसील कार्यालय के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (नियम 13 (4)* अनुसार शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य।	5 वर्ष	सहायक ग्रेड–3	जिला कलेक्टर	1–अपर कलेक्टर–अध्यक्ष (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित) 2–डिप्टी कलेक्टर –सदस्य (जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित) 3–मुख्यालय अविअ–सदस्य 4–अधीक्षक कलेक्टर कार्यालय– सदस्य सचिव 5– अजा/अजजा का प्रतिनिधि–सदस्य

सहायक ग्रेड तीन के पद पर पदोन्नत कर्मचारी के पास यदि अनुसूची तीन में (ख) एवं (ग) पर विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं नहीं हों तो उसे मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 8 व 9 के तहत पदोन्नति से दो वर्ष के भीतर शैक्षणिक अर्हताएं प्राप्त करना होंगी अन्यथा उसे उसके मूल पद/सेवा पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.